

Through Web Circulation

Telephone: 011- 26163246
Fax : 011 - 26175913



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(अम मंत्रालय भारत सरकार)

**Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour, Govt. Of India)**

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14- भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14- Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066
www.epfindia.gov.in/www.epfindia.nic.in

No.IS-8(7)2012/Corr./pt.

Dated:-

27 MAY 2015

To

[Signature]
**All Additional CPFCs (Political States), Director (NATRSS),
All RPFC(In-charge of Regions/ZTIs),
Regional PF Commissioner (ASD), Headquarters,
All OICs, SROs.**

Sub: Policy on use of IT resources of Govt. of India by Deity – Reg.

Sir,

Please find enclosed herewith the copies of Ministry of Labour & Employment Office Memorandum No. Z-20024/1/2015-IT dated 06.04.2015 along with copy of Department of Electronics and Information Technology Notification No.2(22)/2013-EG-II (Vol.II-B) dated 18.02.2015 to take necessary action in this regard.

It is therefore requested to follow guidelines mentioned in the above circular.

[This issues with the approval of ACC(IS)]

Yours faithfully,

[Signature]
**(V. Ranganath)
Regional P.F. Commissioner-I(IS)**

No Z-20024/1/2015-IT
Government of India
Ministry of Labour and Employment

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, Dated April 6th, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Sub: - Gazette notification of "Policy on use of IT resources of Govt. of India" by Deity.

The undersigned is directed to forward herewith a copy of Department of Electronics and Information Technology Notification No. 2(22)/2013-EG-II (Vol.II-B) dated 18.2.2015 on the subject noted above, which is self-explanatory.

2. The Policy on use of IT resources of Govt. of India (GOI) lays down guidelines with respect to use of all IT Resources of GOI. The objective of this policy is to ensure proper use of GOI IT resources and prevent their misuse by its users. Users have the responsibility to use these resources in an efficient, effective, ethical and lawful manner. The policy is applicable to all employees of Govt. of India and use of resources provided by GOI implies the user's agreement to be governed by this policy.


3. All users can find further information on "Policy on use of IT Resources" at <http://deity.gov.in/content/policy-use-it-resources>. All the Bureau Heads of this Ministry are therefore requested to take necessary action in this regard.

End: As Above

(H.C. Prasad)

Under Secretary to the Govt. of India

PLEA/ AS(L&E)/ JS(DK)/ JS(MG)/ DDG(C)/ DGLW/ DGET/ CLC(C)





भारत का राजपत्र

The Gazette of India

नियमित

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. ४३

नई दिल्ली, ब्रह्मगतिवार, फरवरी १९, २०१५/माघ ३०, १९३०

No. 451

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2015/MAGHA 30, 1930

नवाचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नियमित सूचना

नई दिल्ली १८ फरवरी, २०१५

(१) भारत सरकार के आईटी संसाधनों के इस्तेमाल पर नीति।

(२) ई. २(२२)/२०१३-ईवी-१। (वॉल. II-B).—१. प्रस्तावना

- १.१. भरकार अपने कमेंटारियों की क्षमता और उत्पादकता को बढ़ावे के लिए आईटी संसाधन उपलब्ध कराती है। ये संसाधन अपने कार्य क्षेत्र में संबंधी सूचना तक पहुँच बनाने और उसे विवार करते के दृष्टि के रूप में हैं। ये संसाधन सरकारी कमेंटारियों वाले समय में सूचना पहुँचाने और नेतृत्व और प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करते हैं।
- १.२. इन नीतियों के अनुरूप से, 'आईटी संसाधन' शब्द में वापरतान नेटवर्क, इन्टरनेट लैनिसिंग, एसएनेल लैनिसिंग, डिवाइन और पिटर और नेटवर्क जैसे बाह्य उपकरण और उनमें जुड़े सॉल्यूशंस, सेवत डेस्कटॉप उपकरण, नेटवर्क और नोटबुक उपकरण, नेटवर्क का आमिल है।
- १.३. भरकार के लिए संसाधनों का दृष्टिवान यह तरह और व्यावेत योग हो नहींत है। यह उम्मीद उह जी जाती है कि इस संसाधनों का उपयोग व्यापक रूप में सरकार संबंधी उद्देश्यों के हाननी तक नीतिगत रूप से किया जाए।

१. संसाधन

इन नीति दृष्टिवान ॥ ये इसी से आईटी संसाधनों के प्रयोग को लिखायें रखती है। यह नीति भारत सरकार के लिए संवित्तिकरण यह नहीं देती है। लेकिन उत्तर वालासम नेटवर्क जैसे संसाधनों का उपयोग यह नहीं होती है, जो अन्य नीतियों के अनुरूप संसाधनों का उपयोग करते हैं। यह नीति नेटवर्क वाले यह नीति का अनुरूप संसाधनों का उपयोग करते हैं।

इंद्रज

न नीति वा उद्देश नरकार के आईटी नेटवर्कों तक समिल पहुँच और प्रयोग नुसिखित करना है और प्रयोक्ताओं के लिए इनका तुलाधार रोकना है। भारत नरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नेटवर्कों के प्रयोग वा प्रयोग के लिए इनका कानून किए गए कानून वा नियंत्रण इस तीव्र द्वारा किया जाएगा।

भूमिकाएं और विम्बेदारियाँ

नन्द/राज्य/नवीकरणकारी नरकार के आईटी नेटवर्कों के उन्नेवाल द्वारा प्रत्यक्ष संगठन (३) में नियन्त्रित प्रयोक्ताओं की अवश्यकता है। इस कार्य के लिए विनियुक्त कर्मनाली वर्गी नियंत्रित होनेवाल के अन्वेषण गमन युक्त वेब के उन्नेवाल के लिए नियन्त्रित आईटी नेटवर्कों के प्रयोग के लिए विम्बेदार होगा।

४.१ प्रत्यक्ष संगठन द्वारा यथा विनियुक्त सभ्य प्राधिकारी (३)।

४.२ प्रत्यक्ष संगठन द्वारा यथा विनियुक्त वासित नोड्स अधिकारी (५)।

४.३ कार्यालय एजेंसी (६), भूतना सुरक्षा की सभी विम्बेदारी संबंधित संगठन की होगी। नेटवर्क के लेवाओं की सुरक्षा के हित में यह सिफारिश की गई है कि बंगटों को एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई भारत नरकार की नेटवर्क मेवाओं का उन्नेवाल करना चाहिए, जिसके मामले में संबंधित संगठन की तरफ से नेटवर्क सेवाओं की सुरक्षा हेतु, एनआईसी कार्यालय एजेंसी होगी।

४.४ नेटवर्क सेवाओं को घोड़कर नभी आईटी नेटवर्कों का प्रबंध करने के लिए संबंधित संगठन, नोड्स एजेंसी होगा (७)।

५. नेटवर्क तक पहुँच

५.१ इंटरनेट और इंट्रानेट तक पहुँच

(१) प्रयोक्ता नेटवर्क सिस्टम को नरकारी नेटवर्क से जोड़ने से पहले सभी प्राधिकारी में एक तरफ में नन्दमोदन प्राप्त करेगा और नेटवर्क सिस्टम को रजिस्टर करेगा।

(२) इस बात को युवरोर विफारिश की जाती है कि नेटवर्कमील कार्यालयों वा न्यून नेटवर्कों पाने वाले इंटरनेट (१) और इंट्रानेट (२) को बनाए रखें। ऐसी नेटवर्कों के लिए लोकल ला में कोई संन्दर्भन/उपकरण नहीं होते। ऐसे निवोजनों में प्रयोक्ताओं के पास वी एकमेस हियाइट जाने होनकहीर होते। एक और इंटरनेट से और दूसरे को इंट्रानेट से जोड़ा जाएगा। इटा तरफ नेटवर्किंग के लिए दोनों नेटवर्कों पर एनआईटी कॉम्प्लीएमेंट (८) का कार्यालय किया जाएगा।

(३) एक नेटवर्क की फिल्टरिंग वे तरफ से या अन्य किसी रैमी गतिविधियों को छोड़ने जो नेटवर्क के लिए यह सुरक्षा को नुकसान कर सकती है, के लिए किसी वेबसाइट या ग्राफीकेशनों के माध्यम में कोई नविलिपि नहीं जरूर हो।

५.२ नरकारी वायरलैन नेटवर्क तक पहुँच

नेटवर्क वायरलैन (१) नेटवर्क से तुरने के लिए नरकारी विम्बेदारित को भूमिका करेगा।

(१) नरकारी वायरलैन डिवाइस जो रजिस्टर करेगा और नरकारी वायरलैन नेटवर्क में वायरलैन डिवाइस तरफ से सभी प्राधिकारी में एक वायरलैन नन्दमोदन प्राप्त करेगा।

(२) नरकारी वायरलैन प्राधिकारी भी वायरलैन डिवाइसों की अपेक्षित वायरलैन के लिए वायरलैन वायरलैन वायरलैन वायरलैन की अपेक्षित वायरलैन की तरफ होती है।

(३) वायरलैन वायरलैन वायरलैन के लिए वायरलैन वायरलैन की अपेक्षित वायरलैन के लिए वायरलैन वायरलैन वायरलैन की अपेक्षित वायरलैन की तरफ होती है।

३.३ साइटों की फिल्टरिंग और खाकिंग:

- इ) शार्योन्तरगत एजेंसी इंटरनेट पर उपलब्ध उस सूचना नामगी को ज्ञाकि करे जिसमें आईटी संविनियम, 2000 के संबंधित प्रावधानों या अनुशयाभ्य कानूनों का डालन्यित किया गया हो या जिनसे नियन्त्रक को सुनिश्चालनभी बहुत हो।

ज) शार्योन्तरगत एजेंसी उस तामगी को भी ज्ञाकि करेगा जो संबंधित मंगठत की दृष्टि से ब्रनुषयुक्त है या शोलाओं की उत्पादकता को बहुत तरह प्रभावित करे।

सामीक्षण और गोपनीयता:

- नार्यान्वयन एजेंसी के पास इस नीति के अनुपालन की दृष्टि से निरंतर अवधि पर नेटवर्क और प्रणालियों की सेवा परीक्षा करने का अधिकार होगा।
 - मुख्य नवंबरी सारणों से या अनुप्रयोग्य कानूनों के अनुपालन के लिए नार्यान्वयन एजेंसी/बोडल एजेंसी, परोक्षा की सुचित करने के उपरांत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई डिवाइसों पर हुए किसी प्रकार के इनेस्ट्रुमेंटिक प्रवाचार या संघर्ष की गई फाइलों तक त तो पहुंच बना सकता है, त ही उनका पुनरावलोकन कर सकता है और न ही उसे कांपी या डिलीट कर सकता है। उसमें फाइल, डी-मेल और डिटर्मेट डिस्ट्रीट्यूटिव ऐजेंसी भी शामिल हैं।
 - नार्यान्वयन एजेंसी सरकारी नेटवर्क पर परोक्षा की ऑनलाइन गतिविधियों की मानीटरी करें, वराहें कि इस संबंध में संगठन के तौर पर ऐसी समाज प्रचालन गतिविधि चल रही हों।

जातीय नेटवर्क से होल्ड बैंक पहुँच

- परोक्षता सरकारी नेटवर्क से लिजी ई-मेल सर्वरों को इसीमात्र नहीं करेंगे।
 - नारायण द्वारा प्राथिकृत और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन ई-मेल सेवा का प्रयोग नभी प्रकार के अधिकारी पदाचार के लिए ही किया जाएगा। निझी पदाचार के लिए, परोक्षता सरकार द्वारा प्राथिकृत ई-मेल सेवा पर भी गई नाम आधारित ई-मेल जाइडी का प्रयोग करें।
 - उस सेवा में और अधिक विवरण "भारत सरकार की ई-मेल नोटिं" में दिए गए हैं।

५. भवनारो ट्रेटबके से लौशत भीडिया साइटो तक पहुँच

- नमस्कारी गंगाधारों द्वारा तोशाल नेटवर्किंग साइटों के प्रयोग का सचालन <http://deity.gov.in>। इस उपलब्धता के अनुरूप तात्पुरता के लिए योग्यता मीडिया (!!) का इस्तेमाल के लिए क्रमबद्ध और दिशानिर्देश द्वारा उपलब्ध है।
 - भवीतों जीवन नेटवर्किंग साइटों पर सरकार में संबंधित किसी डेटा को रोक करते समय जांचें। अधिकारी, 2000, के तहत नागर आशधारों को पुरा करेगा।
 - इसका, संबंधित सोशल मीडिया ऐलेटर्फोन्मेलिंगसाइट के साथ-साथ लोगोवाइट, निरता, मानवानुभव आपातक की अवधानता, बदलाव, उल्लोड़न और बन्द नाम कानूनों की उपयोग जैसी कानूनी अवधानता।
 - जलसता में अम ग्राहिकारी और वित्ती जल्दी सेवा हो जिसी महिम्य विद्वत के विषय में रिपोर्ट देंगा।
 - तोशाल नमस्कारों नामान्तर नेटवर्किंग साइटों पर उप सरकार व्यवस्थाओं का प्रयोग करेगा।
 - उपलब्ध व्यवस्थाओं का उपयोग जल्दी करने का लक्ष्य रखेंगे। इसका उपयोग, जिसका विवेदित विवरण इसके अन्तर्गत नाम नामान्तर व्यवस्था का बनाए रखने के लिए दिया जाएगा। इसका उपयोग व्यवस्थाओं की विवरण विवरण करने के लिए दिया जाएगा।

- 3.3 उपोक्ता किसी भी राकार की ऐसी विच्छिन्नी नहीं करेगा या ऐसी किसी भी मूलता आमदी की प्रवृत्त नहीं करेगा जिसमें नगदान की शर्तेश्वार को किसी भी राकार में जाने हो सकती है।

3 अपरत सरकार द्वारा किसी प्रयोक्ता को जारी आईटी उपकरण
 आईटी उपकरणों का प्रयोग राष्ट्रभिक्षु लघु ने सरकारी मंबंधी उद्देश्यों के सिए और कानूनी और नीतिपूरक लघु में लिया जाता और इसका मन्दान शीर्षक "आईटी संसाधनों के इस्तेमाल पर नीति" नीतिक ने इसका [लिंक](http://www.deity.gov.in/content/policiesguidelines/) उपलब्ध कराया है। इस नीति के अन्तर्गत आईटी संसाधनों के इस्तेमाल पर दिशानिर्देश दस्तावेज़ में निर्धारित उद्देश्यों द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त दस्तावेज़ में देखाया गया उपकरणों वाला स्टोरेज मीडिया और प्रिंटर और सैफर जैसे प्रिफ़ेरेन्स उपकरण शामिल हैं।

10. प्रयोक्ता मंगठन की विमोचनी

10.1. नीति अनुपालन

 - मध्ये प्रयोक्ता मंगठन, अपने प्रयोक्ताओं द्वारा इस नीति के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त नीति को लागू करें।
 - इस नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंगठन के नभम प्राधिकारी द्वारा आपूर्ति रिपोर्टिंग आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।
 - नीति अधिकारी अपने प्रयोक्ताओं द्वारा इस नीति में निहित सुरक्षा मंबंधी पक्षों से संबंधित वर्णनों के तमाधान को सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी अपेक्षित यह दोषी उपलब्ध कराएगी।
 - प्रयोक्ता मंगठन का नभम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आईटी संसाधनों के प्रयोग पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन नियमित प्रवधि पर किया जाए। कार्यान्वयन एजेंसी इस संबंध में आवश्यक सहायता भुविया कराएगी।
 - उपोक्ता मंगठन कार्यान्वयन एजेंसी के नाम परामर्श लिए दिन नेटवर्क पर किसी भी गमन के नेटवर्क सुरक्षा उपकरण को इस्टोल नहीं करेंगी।

10.2. नीति का प्रचार-प्रसार

 - प्रयोक्ता मंगठन का नभम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इन नीति का नमूनित लघु में उपलब्ध होना।
 - नभम प्राधिकारी अपने प्रयोक्ताओं के द्वारा इस नीति के बारे जानकारी व्यापारे के लिए व्यापक विवर, विविध और इत्यादि का प्रयोग कर सकता है।
 - ए दोनों किए गए कर्मनालियों के लिए लोगिस्टिक्स कार्यालयों में इन नीति पर ध्यान लगाया।

पुरका घटना प्रबल्प्रक्रिया

11.1 एक सरकारी पदवा के एक विषयीन घटना के नाम पर परिवर्तित किया गया है तो सरकारी लघु विवरण लगायत, नीतिवाचक और प्राधिकारी को प्रभावित हो सकती है।

सार्वानुदेश - जो कि पाल इस मंगठन के नभम प्राधिकारी से नोचत करके तभे किसी भी उपकरण को नीतिवाचक करा दा प्रधिकार है तो उपर्याक हो जाती है और प्रधानी के लिए दुरुसात देह हो जाता है।

11.3 अग्रिम रूपों को जीवनी भी सुरक्षा लगता है। ये विवित जारीप राकार लघु विवरण लगाये जाने के लिए विवरण लगाये जाने की जांच करता है।

ट्राई/वैग लागी करना

- 12.1 उपरोक्त चंड में दिए गए किसी भी प्रावधान के बाह्य हुए भी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कानून द्वारा संचयिते और अन्य संगठनों के समझ उसी आईटी विभाग से संबंधित या उसने निश्चित लाग का उक्त आईटी विभाग 2000 और अन्य लाग कानून के अनुसार किया जाएगा।
- 12.2 लाकड़ी विभाग एजेंसी लाग की जांच करने या बारी करने के लिए जब तक इन चंड में प्रावधान न किया जाए किसी अन्य संगठन से प्रावधानों को न तो सहीकार करेगा और न ही उस पर कार्यवाही करेगा।

वौद्धिक संपदा

गावान्वयन एजेंसी नेटवर्क और संसाधनों के माइयम से प्रावधानों की सुरक्षा कार्यालय और प्रेटेन, ट्रैडमार्क, नामांक नेटों या गोपनीयता, प्रकारण या अन्य निश्ची अधिकार और वौद्धिक संपदा अधिकार स्वामित्व संबंधी अन्य इकाई की सुरक्षा हेतु कानूनों समेत, पर इन तक सीमित नहीं, के अधीन होगी। प्रयोक्ता किसी भी उर्दों के सरकारी संस्थानों और समाधनों का प्रयोग इस प्रकार तहीं करेगे जिससे ऐसे अधिकारों का प्रभाव, दुरुपयोग हो या अन्यथा उल्लंघन हो।

प्रक्रिया

- 14.1 यह नीति केल्ड सरकार और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू है, जैसा कि इस इस्तोवेज के चंड 2 में निर्दिष्ट किया गया है। सभी प्रयोक्ताओं के लिए इस नीति के प्रावधानों का अनुपलान अनिवार्य है।
- 14.2 प्रत्येक संगठन इस नीति के प्रावधानों के अनुपलान को सुनिश्चित करने के लिए विमेंद्रार होगी। गावान्वयन एजेंसी इस लंबवद्ध में तंगठनों को प्रावधक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी।

ट्राईक्टीवेशन

- 15.1. एकोका द्वारा उपयोग किए जा रहे तंगठनों से सरकारी प्रशालियों या नेटवर्क की सुरक्षा को होने वाले उत्तर के नामदे में, उपयोग किए जा रहे तंगठनों को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तुरंत डीएक्टीवेट किया जाए।
- 15.2. एक ट्राईक्टीवेशन के बाद उस संगठन के तक्षम प्राधिकारी और संबंधित प्रयोक्ता को नियत किया जाएगा।

अन्यांसी नेटवर्क अवसरवता की लेकारी

ट्राईक्टीवेशन द्वारा अन्योदित तंगठन द्वारा एनवाईसी नेटवर्क अवसरवता की सुरक्षा लेकारी योग्यता अवशिष्ट रूप से किया जाएगा।

नोटिस

नोटिस वाली ग्रामीण के उपरोक्त सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन ने अद्ययन होने पर नोटिसों ने जारी नीति किए जाएंगे।

लकड़ी, एवं, तमां, लक्ष्मी

नोटिस

| नोटिस | श्रमावर्ती | प्रिवेट |
|-------|------------|---|
| 1 | लकड़ी | लकड़ी वेली नेटवर्क/सेप्ट राज्य शेड के कर्मजारियोंसे विदा जापार वर कार्यरत कार्यवाहीयों में अभिषेक हो जो सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। |
| 2 | लकड़ी | लकड़ी और राज्य लकड़ी विभाग वर कार्यरत कर्मजारियोंसे विदा जापार |
| 3 | लकड़ी | लकड़ी वाली ग्रामीण सरकार में जारी नीति के अनुरूप लाग लागी जाएगी। |

| | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 4. | नेटवर्क अधिकारी | नेटवर्क अधिकारी में इच नीति संबंधी नम्रता नहीं के लिए जिम्मेदार अधिकारी जो नेटवर्क की व्यवस्था व इनका समन्वय करता है। |
| 5. | संचालन अधिकारी (आईए) | संचालन अधिकारी (आईए) में इच नीति में प्रथम निर्दिष्ट प्रशिक्षण तीर दृष्टिनीय आवंटाइ करने की शक्ति नम्रता नेटवर्क व्यवालों के संदर्भ में इच नीति जल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार निकाय अभिप्रैत है। |
| 6. | नेटवर्क एजेंटी | नेटवर्क एजेंटी में नेटवर्क व्यवालों को छोड़कर आईटी संसाधनों के उन्नेश्वर के संबंध में इच नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार निकाय अभिप्रैत है। |
| 7. | इंटरनेट | इंटरनेट विवरणीय स्थान पर आपस में जुड़े कम्प्यूटर नेटवर्किंग का एक नेटवर्क है, जोकि आम जनता की पहुंच में है। आपस में जुड़े ये कम्प्यूटर विशेष प्रकार की ऐलास्ट्रिविंग जिसे आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है के माध्यम से डेटा दासमिशन द्वारा काम करते हैं। |
| 8. | इंट्रानेट | इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है जो किसी संगठन के भीतर तिहित होता है। इस नीति के प्रयोग से किसी इंट्रानेट से जुड़े कम्प्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ने की ज़ुमरति नहीं होती है। |
| 9. | अंतिम बिंदु अनुपालन | अंतिम बिंदु अनुपालन नेटवर्क संरक्षण का एक तरीका है जिसमें अपेक्षा की गई है कि नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कम्प्यूटिंग उपकरण, नेटवर्क एकसेस मिलने से पहले कुछ मानकों को पूरा करे। अंतिम बिंदुओं में डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्ट फोन, टेलेलेट इत्यादि शामिल हो नकते हैं। |
| 10. | वायरलैन | नेटवर्क नीतों को जोड़ने के लिए वायरलैस डेटा कनेक्शन का प्रयोग करने वाला एक प्रकार का कम्प्यूटर नेटवर्क है। इस नीति के उद्देश्य में, भारत सरकार के सभी वायरलैन नेटवर्कों का नियोजन सहित उग से किया जाएगा। |
| 11. | सोशल मीडिया | सोशल मीडिया का अर्थ उन सोशल नेटवर्किंग नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सूचीबद्ध या फोटो, सोशल नेटवर्किंग नहीं हैं और जब व्यवालों से हैं जो इसीलाई का अमानवीन नप से प्रत्येकताओं के नाम सूचीबद्ध करने की भवित्वी उपलब्धि रखता है। |
| 12. | कर्मचारी संविदा आधारित नियम | कर्मचारी जो संविदा आधार पर भारत सरकार के लिए जावे सकता है। संविदा आधारित कर्मचारी को एक विशेष कार्य के लिए जाता है। संविदा आधारित कर्मचारी भारत सरकार के लाल न नियमित कर्मचारी नहीं होता है और उसे भारत सरकार का विवाही कर्मचारी नहीं माना जाता। |
| 13. | उपलब्ध वर्तना | कर्मचारी डेटा के माध्यम से जिसी भी प्रकार की डिडलाइ जैसे उपलब्ध वर्तनी विवरी जून डेटा उन्नेश्वर |

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

G.O.M.R. No. 101, Dated: 01-02-2013

Dated: 01-02-2013 (S. No. 101, Dated: 01-02-2013) [S. No. 101, Dated: 01-02-2013]

- their areas of work. These resources help Government officials to remain well informed and carry out their functions in an efficient and effective manner.
- 1.2 For the purpose of this policy, the term 'IT Resources' includes desktop devices, portable and mobile devices, networks including wireless networks, Internet connectivity, external storage devices and peripherals like printers and scanners and the software associated therewith.
 - 1.3 Misuse of these resources can result in unwanted risk and liabilities for the Government. It is, therefore, expected that these resources are used primarily for Government related purposes and in a lawful and ethical way.

Scope

This policy governs the usage of IT Resources from an end user's ⁽¹⁾ perspective. This policy is applicable to all employees of GoI and employees of those State/UT Governments that use the IT Resources of GoI and also those State/UT Governments that choose to adopt this policy in future.

Objective

The objective of this policy is to ensure proper access to and usage of Government's IT resources and prevent their misuse by the users. Use of resources provided by Government of India (GoI) implies the user's agreement to be governed by this policy.

Roles and Responsibilities

The following roles are required in each organization ⁽²⁾ using the Central / State / UT Government IT resources. The official identified for the task shall be responsible for the management of the IT resources deployed for the use of entire user base under their respective domain.

- 4.1 Competent Authority ⁽³⁾ as identified by each organization.
- 4.2 Designated Nodal Officer ⁽⁴⁾ as identified by each organization.
- 4.3 Implementing Agency ⁽⁵⁾: The overall responsibility for Information Security will be that of the respective organization. In the interest of security of the network services, it is recommended that the organizations should use the GoI network services provided by NIC, in which case NIC would be the implementing Agency for security of network services on behalf of the concerned organization. In organizations not using NIC network services, the respective organization will be the implementing Agency.
- 4.4 The Nodal Agency ⁽⁶⁾ for managing all IT Resources except network services shall be the respective organization.

Access to the Network

5.1 Access to Internet and Intranet

- a) A user shall register the client system and obtain one time approval from the competent authority before connecting client system to the Government network.
- b) It is strongly recommended that sensitive offices shall maintain two independent networks, i.e. Internet ⁽⁷⁾ and Intranet ⁽⁸⁾. Both the networks shall not have any physical connection/devices between them. Users in such deployments shall have two access devices, i.e. desktops. One shall be connected to the internet and the other to the intranet. End point compliance ⁽⁹⁾ shall be implemented in both the networks to prevent unauthorised access to data.
- c) Users shall not undertake any activity through any website or applications to bypass filtering of the network or perform any other unlawful acts which may harm the network's performance or security.

5.2 Access to Government Wireless Networks

For connecting to a Government wireless ⁽¹⁰⁾ network, user shall ensure the following:—

- a) A user shall register the access device and obtain one time approval from the competent authority before connecting the access device to the Government wireless network.
- b) Wireless client systems and wireless devices shall not be allowed to connect to the Government wireless access point without due authentication.
- c) To ensure information security, it is recommended that users should not connect their devices to unsecured wireless networks.

5.3 Filtering and Blocking of sites:

- a) It may block content over the internet which is in contravention of the relevant provisions of the Information Technology Act, 2000 and other applicable laws which may pose a security threat to the network.
- b) Any site whose content which goes against of the organization's norms, is inappropriate or contrary to the purpose of the user.

7.2 IA Nodal Agency, for security related reasons or for compliance with applicable laws, may access, review, copy or delete any kind of electronic communication or files stored on Government provided devices under imputation to the user. This includes items such as files, e-mails, and Internet history etc.

IA may monitor user's online activities on Government network, subject to such Standard Operating Procedures as the organization may lay down in this regard.

E-mail Access from the Government Network

7.1 Users shall refrain from using private e-mail servers from Government network.

7.2 E-mail service authorized by the Government and implemented by the IA shall only be used for all official correspondence. For personal correspondence, users may use the same-based e-mail id assigned to them on the Government authorized e-mail Service.

7.3 More details in this regard are provided in the "E-mail Policy of Government of India"

Access to Social Media Sites from Government Network

8.1 Use of social networking sites by Government organizations is governed by "Framework and Guidelines for use of Social Media ⁽¹¹⁾ for Government Organizations" available at <http://deity.gov.in>.

8.2 User shall comply with all the applicable provisions under the IT Act, 2000, while posting any data pertaining to the Government on social networking sites.

8.3 User shall adhere to the "Terms of Use" of the relevant social media platform/website, as well as copyright, privacy, defamation, contempt of court, discrimination, harassment and other applicable laws.

8.4 User shall report any suspicious incident as soon as possible to the competent authority.

8.5 User shall always use high security settings on social networking sites.

8.6 User shall not post any material that is offensive, threatening, obscene, infringes copyright, defamatory, hateful, harassing, bullying, discriminatory, racist, sexist, or is otherwise unlawful.

8.7 User shall not disclose or use any confidential information obtained in their capacity as an employee/contractor ⁽¹²⁾ of the organization.

8.8 User shall not make any comment or post any material that might otherwise cause damage to the organization's reputation.

Use of IT Devices Issued by Government of India

IT devices issued by the Government to a user shall be primarily used for Government related purposes and in a lawful and ethical way and shall be governed by the practices defined in the document "Guidelines for Use of IT Devices on Government Network" available at <http://www.deity.gov.in/content/policiesguidelines> under the section "Policy on Use of IT Resources". The aforesaid document covers best practices related to use of laptop devices, portable devices, external storage media and peripherals devices such as printers and scanners.

Responsibility of User Organizations

10.1. Policy Compliance

a) All user organizations shall implement appropriate controls to ensure compliance with this policy by their users. Implementing Agency shall provide necessary support in this regard.

b) A periodic reporting mechanism to ensure the compliance of this policy shall be established by the competent authority of the organization.

c) Nodal Officer of the user organization shall ensure resolution of all incidents related to the security aspects of this policy by their users. Implementing Agency shall provide the requisite support in this regard.

d) Competent Authority of the user organization shall ensure that training and awareness programs on use of IT resources are organized at regular intervals. Implementing Agency shall provide the required support in this regard.

e) User organization shall not install any network security device on the network without consultation with the IA.

10.2. Policy Dissemination

a) Competent Authority of the user organization shall ensure proper dissemination of this policy.

b) This policy can also be disseminated in newsletters, banners, bulletins, in its internal communication system, through emails, meetings, training, etc.

11.2 IA reserves the right to deactivate/ remove any device from the network if it is deemed as a threat and can lead to a compromise of a system under intimation to the competent authority of that organization.

11.3 Any security incident ⁽¹²⁾ noticed must immediately be brought to the notice of the Indian Computer Emergency Response Team (ICERT) and the IA.

Scrutiny/Release of logs

12.1 Notwithstanding anything in the above clause, the disclosure of logs relating to or contained in any IT Resource, to Law Enforcement agencies and other organizations by the IA shall be done as per the IT Act, 2000 and other applicable laws.

12.2 IA shall neither accept nor act on the request from any other organization, save as provided in this clause, for scrutiny or release of logs.

Intellectual Property

Material accessible through the IA's network and resources may be subject to protection under privacy, publicity, or other personal rights and intellectual property rights, including but not limited to, copyrights and laws protecting patents, trademarks, trade secrets or other proprietary information. Users shall not use the Government network and resources in any manner that would infringe, dilute, misappropriate, or otherwise violate any such rights.

Enforcement

14.1 This policy is applicable to all employees of Central and State Governments as specified in clause 2 of this document. It is mandatory for all users to adhere to the provisions of this policy.

14.2 Each organization shall be responsible for ensuring compliance with the provisions of this policy. The Implementing Agency would provide necessary technical assistance to the organizations in this regard.

Deactivation

15.1 In case of any threat to security of the Government systems or network from the resources being used by a user, the resources being used may be deactivated immediately by the IA.

15.2 Subsequent to such deactivation, the concerned user and the competent authority of that organization shall be informed.

Audit of NIC Network Infrastructure

The security audit of NIC network infrastructure shall be conducted periodically by an organization approved by DeitY.

Review

Future changes in this Policy, as deemed necessary, shall be made by DeitY with approval of the Minister of Communication & IT after due inter-ministerial consultations.

C.S. SHARMA Secy

GLOSSARY

| No. | Term | Definition |
|-----|--------------------------|---|
| 1 | Users | Refers to Government/State/UT employees/contractual employees who are accessing the Government services. |
| 2 | Organization | Ministry/Department/Statutory Body/Autonomous body under Central and State Governments. |
| 3 | Competent Authority | Officer responsible for taking and approving all decisions relating to this policy in his Organization. |
| 4 | Central Officer | Officer responsible for all matters relating to this policy who will coordinate on behalf of the Organization. |
| 5 | Implementing Agency (IA) | A body which will be responsible for ensuring compliance with this policy with reference to network services including power to take precautionary and penal actions as specified in this policy. |

| | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 1. | Internet | Internet is a network of the interlinked computer networking worldwide, which is accessible to the general public. These interconnected computers work by transmitting data through a special type of packet switching which is known as the IP or the Internet protocol. |
| 8. | Intranet | An intranet is a private network that is contained within an organization. For the purpose of this policy, computers connected to an intranet are not allowed to connect to internet. |
| 9. | End point compliance | End point compliance is an approach to network protection that requires each computing device on a network to comply with certain standards before network access is granted. Endpoints can include desktops, laptops, smart phones, tablets etc. |
| 10. | Wireless | Any type of computer network that uses wireless data connections for connecting network nodes. For the purpose of this policy, all the GoI wireless networks will be deployed in a secure manner. |
| 11. | Social Media | Applies to social networking sites, blogs, electronic newsletters, online forums, social networking sites, and other services that permit users to share information with others in a convenient manner. |
| 12. | Contractor/contractual employees | An employee who works under contract for GoI. A contract employee is hired for a specific job or assignment. A contract employee does not become a regular addition to the GoI staff and is not considered a permanent employee of GoI. |
| 13. | Security Incident | Any adverse event which occurs on any part of the government data and results in security threat/breach of the data. |